न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

मिसल नंबर 05/17 निर्णय दिनाक 11.02.2017

बउनवान

1. प्रतापबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि छोटूलाल आयु 52 वर्ष जाति राठी निवासी ग्राम टोल्या तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी माल ग्राम टोल्या पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास में खाता संख्या 119 नई की खसरा नंबर 32 की रकबा 3.37 है0, आराजी एवं माल ग्राम टोल्या में ही खाता नंबर 118 की खसरा नंबर 31 की रकबा 0.01 है0 खसरा नंबर 178 की 0.01 है0, खसरा नंबर 179 की 4.01 है0, , खसरा नंबर 350 की 0.08 है0, किता 04 की 4.11 है0, आराजी स्थित है जिसमें वादनी का 1/2 हिस्सा निहित है वादनी के संयुक्त खाते की उक्त आराजी पर रिज्यूम माफी सासरी गिरी दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में माफी पूर्व की आराजी थी जिसे जागीर उन्मूलन अधिनियम में 01.07.1963 के पुर्नग्रहण राजस्थान को भूमिधारक होने तथा खातेदार के जो कि सेवादार, चौकीदार या बलाई जो भी है उसकी अनुदान भूमि का खातेदार हो जावेगा उक्त आदेश एक जनरल आदेश था। जिससे खातेदार से माफी रिज्यूम शब्द हटना था किन्तु उक्त प्रकरण में आज भी खातेपर से माफी रिज्यूम शब्द नंही हटा है। वादनी कि द्वारा राजस्व शिविरों में तथा समय–समय पर राजस्व कार्यालयों में भी निवेदन करने पर भी खाते से माफी शब्द नंही हटाया है। इस हेतू वादनी द्वारा माननीय जिला कलक्टर महोदय को भी लीगल नोटिस देकर निवेदन किया किन्तु फिर भी वादनी के प्रार्थना पर गौर नंही किया गया। इस कारण वादनी को माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्व इन्द्राज दुरूस्ती हेतू वाद पेश कर के माननीय न्यायालय से इस आशय की डिक्री प्राप्त करना आदश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि माल ग्राम टोल्या पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा की खाता नंबर ' खाता संख्या 119 नई की खसरा नंबर 32 की रकबा 3.37 है0, आराजी एवं माल ग्राम टोल्या में ही खाता नंबर 118 की खसरा नंबर 31 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 178 की 1.01 है0, खसरा नंबर 179 की 4.01 है0, खसरा नंबर 350 की 0.08 है0, किता 04 की 4.11 है0, आराजी पर दर्ज माफी सासरीगिरी नोट को इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित करके हटाये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी की गई । प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादी ने हमारे ध्यान प्रस्तुत उद्धरण आर आर डी 1985 पेज संख्या 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एवं आर बी जे (13) 2006 पेज संख्या 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सरवन जीत बनाम सरकार व अन्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करया जिसमें माफी के 01.07.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज सरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षीगण को धारा 13 आर टी एक्ट तथा धारा 9 एवं 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया। एवं धारा 193 आर टी एक्ट 1955 पेश की। राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक/एफ.2(682)Rev./B/62 date 05/06/65 and date 11/03/66 व अधिसूचना दिनाक 10.05.66 से तथा आर टी एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदारी माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो गया है। अतः लोक अदालत की भावना से पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्धरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वाद पत्र में अंकित आराजी माल ग्राम टोल्या पटवार मण्डल लोढाहेडा तहसील कनवास में खाता संख्या 119 नई की खसरा नंबर 32 की रकबा 3.37 है0, आराजी एवं माल ग्राम टोल्या में ही खाता नंबर 118 की खसरा नंबर 31 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 178 की 0.01 है0, खसरा नंबर 179 की 4.01 है0, खसरा नंबर 350 की 0.08 है0, किता 04 की 4.11 है0, आराजी स्थित है जिसमें वादनी का 1/2 हिस्सा निहित है वादनी के संयुक्त खाते की उक्त आराजी पर रिज्यूम माफी सासरी गिरी शब्द हटाया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम टोल्या तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या 119 नई की खसरा नंबर 32 की रकबा 3.37 है0, आराजी एवं माल ग्राम टोल्या में ही खाता नंबर 118 की खसरा नंबर 31 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 178 की 0.01 है0, खसरा नंबर 179 की 4.01 है0, खसरा नंबर 350 की 0.08 है0, किता 04 की 4.11 है0, का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड से वाद के नाम के आगे दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जावे। तदानुसार अंतिमे डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनाक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लहरी कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

1.प्रतापबाई पुत्री प्रभुलाल पत्नि छोटूलाल जाति राठी निवासी ग्राम टोल्या तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

वाद वास्ते अन्तर्गतधारा 88,89

मुकदमा नं. 05/17 सन 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास व हाजरी वादी की ओर से एडवाकेट श्री रेवती रमण नागर मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पेरोकार सरकार स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी गाल ग्राम टोल्या तहसील कनवास जिला कोटा में खाता संख्या 119 नई की खसरा नंबर 32 की रकबा 3.37 है0, आराजी एवं गाल ग्राम टोल्या में ही खाता नंबर 118 की खसरा नंबर 31 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 178 की 0.01 है0, खसरा नंबर 179 की 4.01 है0, खसरा नंबर 350 की 0.08 है0, किता 04 की 4.11 है0, का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम के आगे दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जावे। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बराबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह फरवरी सन 2017 को जारी की गई।

मोहर .....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक	
मुतफर्रिक				
मीजान			मीजान	

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला बारां (राज०)